श्री चित्त बसु : मैंने अभी अपनी बात समाप्त नहीं की है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात दोहराइए नहीं।

(व्यवधान)

श्री चित्त बसु : केवल श्री चन्द्र शेखर और श्री देवी लाल मन्त्री हैं। सरकार का कार्य कैसे होगा ?···(व्यवधान)···अन्य मन्त्री कौन से हैं ?···(व्यवधान)···अब मैं नियमों की बात करता हूं। नियम 2(1) में उल्लेख है कि जो मन्त्री हैं, वह मन्त्रिमण्डल के सदस्य हैं। अब मन्त्रिमण्डल कहां है ? अतः, महोदय सभा की कार्यवाही चलाई नहीं जा सकती है। विचारार्थ प्रस्ताव सही मायनों में संविधान के अनुरूप नहीं है। यह सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 2(1) का उल्लंघन है। अतः मेरी आपसे अपील है कि प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया जाए। (व्यवधान)

श्री समरेन्द्र कुन्डू (बालासोर) : महोदय, हम यहां सभा के सम्मान और गरिमा की रक्षा करने के लिए हैं। हम यहां यह देखने के लिए हैं कि जब तक आप इस कुर्सी पर आसीन हैं कोई गैर-कानूनी कार्य नहीं किया जाएगा। (व्यवधान) इसलिए मैं समझता हूं कि श्री चन्द्र शेखर भी इससे सहमत होंगे और यह पूर्णतया सही है कि उप-प्रधान मन्त्री के लिए संविधान में कहीं भी कोई भी उपबन्ध नहीं है। केवल एक मन्त्री से कोई मन्त्रि-परिषद गठित नहीं की जा सकती···(व्यवधान)···यह अत्याधिक गैर-कानूनी है। महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जब तक आप अध्यक्षपीठ पर आसीन हैं, कोई गैर-कानूनी कार्य नहीं होना चाहिए। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप राष्ट्रपति को यह सिफारिश करें कि वह आज 4 बजे म० प० तक कम-से-कम एक और मन्त्री को शपथ दिलाएं और फिर वह वापस यहां पर आएं। अगर वह ऐसा करते हैं तो यह उचित और सही होगा। महोदय, कृपया ऐसा कीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं अपना विनिर्णय दे रहा हूं। प्रस्ताव सही रूप में है। प्रस्ताव में प्रधान मन्त्री को नाम बताने की आवश्यकता नहीं है। अपनी टीम का चयन करना तो प्रधान मन्त्री का कार्य है। मन्त्रि-परिषद के आकार के बारे में संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। इस बारे में तो प्रधान मन्त्री को तय करना है। संविधान की व्याख्या करना अध्यक्षपीठ का कार्य नहीं है। ये व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न स्वीकार्य नहीं हैं। प्रधान मन्त्री।

प्रधान मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा मन्त्रि-परिषद में अपना विश्वास अभिव्यक्त करती है।"

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि मन्त्रिमण्डल के न बनने से हमारे कई मित्रों को बड़ा सदमा पहुंचा है और उनकी बड़ी इच्छा है कि वे मन्त्रिमण्डल के सभी सदस्यों के चेहरे जल्दी-से-जल्दी देख लें। मिनिस्टरों की तस्वीर देखते-देखते आदत इतनी बिगड़ गई है कि बिना उन्हें देखे उनको संसद निरर्थक मालूम होती है। उन्होंने हमसे कारण जानना चाहा। कई कारण हैं।

अध्यक्ष महोदय, बड़ी विनम्रता से यह काम हमने संभाला है और हमारे मित्रों ने बार-बार यह आवाज उठायी है कि संसद में हमारा कोई बहुमत नहीं है। मैं उनको इस बात के लिए कोई मौका

नहीं देना चाहता था कि उनकी इच्छा के बिना या संसद की इच्छा के बिना मैं बड़े पैमाने पर मन्त्रि-मण्डल का विस्तार करूं। इसलिए एक ही कारण था कि संसद से विश्वास प्राप्त करने के बाद तुरन्त मन्त्री-मण्डल का विस्तार किया जाएगा। मैं समझता हूं कि यह कारण उनकी समझ में पहले ही आ जाना चाहिए था। लेकिन यह कारण अगर उनकी समझ में नहीं आता तो जैसे एक खास तरह की चिड़िया होती है, जिसे सूरज की रोशनी में कुछ दिखायी नहीं देता तो इसमें सूरज की रोशनी का कोई दोष नहीं है, चिड़िया की आंख का दोष है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये सदन से निवेदन करना चाहूंगा कि हम आज कठिन परिस्थितियों में से गुजर रहे हैं, देश की हालत बुरी है। एक ओर नहीं, चारों ओर हालत बुरी है। मैं यहां किसी के ऊपर आक्षेप लगाना नहीं चाहता। (व्यवधान)

मैं किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहता और मैं इस समय कोई लम्बा-चौड़ा भाषण भी नहीं देना चाहता, सिर्फ जो दो-एक सवाल उठाए जाते हैं, केवल उन्हीं का जवाब देना चाहता हूं। सवाल है कि क्या प्यूपिल का मैन्डेट हमें प्राप्त है या नहीं, लोगों ने जन-समर्थन दिया है या नहीं। यह सवाल अक्सर उठाया जाता है और यह बहुत जायज सवाल है। यह सवाल बहुत उचित सवाल है। जब हम पिछले चुनावों में जीते थे, जनता ने हमें सरकार बनाने के लिए समर्थन दिया था, उस समर्थन में हमारे माननीय मित्र आडवाणी जी भी थे, सोमनाथ चटर्जी जी भी थे, इन्द्रजीत गुप्त जी भी थे, उस समय हमने कहा था कि हम कांग्रेस के विरोध में सरकार बनायेंगे। उस समय जो घोषणा पत्र जारी किया गया था आडवाणी जी ने अपने घोषणा पत्र में स्पष्ट शब्दों में कहा था कि हम धारा 370 के ऊपर कोई समझौता नहीं करेंगे। उसी तरह से आडवाणी जी ने कुछ दूसरे सवाल भी उठाए थे, मैं उनमें जाना नहीं चाहता। हमने भी कहा था कि कुछ सवालों पर हम भी कोई समझौता नहीं करेंगे। हमारी वामपंथी पार्टियों के लोगों ने भी कहा था कि कुछ बिन्दुओं पर हम भी कोई समझौता नहीं करेंगे। उस समय हमने यह भी विश्वास दिलाया था कि हम पांच वर्ष तक उस सरकार को चलायेंगे। यह भी जन-समर्थन पाने का एक आधार था। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने मित्रों से यह जानना चाहता हूं कि पिछली सरकार को गिराने में क्या मेरा कोई हाथ था ?···(व्यवधान)···

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाए रखिए।

[हिन्दी]

आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए।

श्री चन्द्र शेखर : अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे मित्र जार्ज फर्नान्डीज साहब मुझे याद दिला रहे हैं कि हमने सरकार के खिलाफ वोट दिया था, लेकिन हमने उस सरकार के खिलाफ वोट दिया था जो सरकार निष्प्राण थी, उस दिन से वह निष्प्राण हो गई थी जिस दिन से आडवाणी जी ने सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था। जनतन्त्र के इतिहास में, संसदीय जनतन्त्र में आप मुझे केवल एक ही उदाहरण बता दीजिए कि कोई भी प्रधान मन्त्री स्पष्ट रूप से बहुमत का समर्थन खोने के बाद सदन में इस तरह से कुर्सी से चिपका रहा हो···(व्यवधान)···यहां राजनैतिक नैतिकता का सवाल उठाया जाता है और मुझे कहा जा रहा है कि मैंने उस सरकार को गिराया था। मैं उस समय के प्रधान मन्त्री के विरोध में था, इस बात को मैंने कभी नहीं छिपाया, लेकिन सरकार को गिराने में मेरा कोई हाथ नहीं था। सरकार अगर गिरी तो उन दो मित्रों के आपसी मतभेदों की वजह से गिरी, जो आज साथ-

साथ बैठे हुए हैं। यदि पिछली सरकार चल रही थी तो उनके सहयोग की वजह से चल रही थी। सरकार अगर चल रही थी···(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : अनिल बाबू, आप बैठ जाइए। प्लीज टेक योर सीट। विप्लव बाबू, आप भी बैठ जाइए।

श्री चन्द्र शेखर : अध्यक्ष महोदय, मैं तो इन सवालों को यहां उठाना नहीं चाहता था, अगर हमारे मित्र इन सवालों का जवाब चाहते थे तो सुनने के लिए भी उनको तैयार रहना चाहिए क्योंकि ये सवाल···(व्यवधान)·· क्योंकि मेरी नजर में ये सवाल बुनियादी नहीं हैं। बुनियादी सवाल है कि देश के सामने चुनौतियां क्या हैं, सवाल यह है कि देश किस हालत में है और जो लोग बड़े जोरों से वाह-वाह के नारे लगा रहे हैं, हमारी कुछ मजबूरियां हैं, जिस तरह से देश को 11 महीने तक चलाया गया है, जिस हालत में अर्थव्यवस्था को छोड़ा गया है अध्यक्ष महोदय, मैं आज यह कहने के लिए सदन में स्वतन्त्र नहीं हूं, लेकिन एक बात मैं जरूर चाहूंगा सारी पार्टियों के नेताओं से कि उन सारी परिस्थितियों को मैं आपके सामने रखने के लिए तैयार हू जिन परिस्थितियों में देश को छोड़ा गया है। अगर अध्यक्ष महोदय, वह सदन तैयार हो और अगर आपकी अनुमति हो, तो मैं उन सारी परिस्थितियों को सदन के सामने रखने को तैयार हूं। इन छः दिनों में सरकार की हालत, देश की हालत वहां नहीं पहुंची है, जो हालत हमको विरासत में मिली है। मैं इसके बारे में जिक्र नहीं करना चाहता हूं। देश की अर्थव्यवस्था को आज विनाश के कगार पर पहुंचा दिया गया है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूं कि सारी कोशिशों के बावजूद यह देश टूटेगा नहीं। हजारों वर्षों की तहजीबोतमद्दुन का यह देश, हजारों करोड़ों लोगों की जन-शक्ति है, इस देश को बचाने के लिए, यह देश बचेगा। पिछले 11 महीनों में दुनिया के सामने क्या संकेत दिए गए, क्या नीतियां रखी गयीं दुनिया के सामने, इन सबके कारण आज देश के लोगों के ऊपर, देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर, देश के स्थायित्व के ऊपर, देश की एकता और अखण्डता के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है और उस प्रश्न चिन्ह को समाप्त करने का एक ही तरीका है—आज देश के करोड़ों लोगों का हम सहयोग लें और करोड़ों लोगों में तथा भारत की अर्थव्यवस्था में वह ताकत है कि बिगड़ी हुई स्थिति को हम बना सकते हैं। सारे देशवासियों से मैं यह कहना चाहूंगा कि कठिनाई का समय है, चुनौती का समय है, लेकिन हमें उनका सहयोग चाहिए, उनकी शक्ति चाहिए। मैं सारी पार्टियों के नेताओं से आपके जरिये अध्यक्ष महोदय, यह कहना चाहता हूं कि आप स्वयं देखें – मैं कुछ बातें कहने के लिए स्वतन्त्र हूं, लेकिन जितनी बातें आपके माध्यम से कही जा सकती हैं, मैं कहने के लिए तैयार हूं और जो बातें मैं आज कह रहा हूं, यदि उनमें एक प्रतिशत भी अतिशयोक्ति हो, तो न केवल प्रधान मन्त्री के पद से, बल्कि इस सदन की सदस्यता से हटने के लिए तैयार हूं।

अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बारे में जानकारी थी और इस जानकारी को मैं आज, यहां नहीं बता रहा हूं, आडवाणी जी बैठे हुए हैं, कई महीनों से मैं इनसे कह रहा हूं—आडवाणी जी, जिस रास्ते पर देश को ले जा रहे हो, वह रास्ता विनाश का रास्ता है। उस समय मैंने वामपंथी पार्टी के बड़े नेताओं से कहा कि हम बरबादी की ओर, विनाश की ओर जा रहे हैं। उनको रोकने के लिए हमने कोशिश की।

अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि हमने कांग्रेस के लोगों का समर्थन लिया और मुझे ऐसा करने में कोई ग्लानि नहीं है। मैंने समर्थन लिया है और वही समर्थन मैं चाहता हूं और मित्रों से भी, जो आज यहां शेम-शेम कह रहे हैं। इसलिए अध्यक्ष महोदय, यह सवाल किसी व्यक्ति के गौरव का नहीं है। यह सवाल किसी व्यक्ति के अभिमान का नहीं है। यह सवाल देश की बचाने का है और इस देश को बचाने

के सवाल पर हम सबका एका चाहते हैं, सब की ताकत चाहते हैं, न केवल सदस्यों से, बल्कि सारे देश-वासियों से।

अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से, मैं कहना चाहता हूं उन लोगों से कि एक दिन इस देश को बचाने के लिए आडवाणी जी आपके लिए देवता थे, आज आडवाणी आपके लिए राक्षस हो गए हैं, तो यह राजनीति आपकी है, मेरी नहीं। आज ये वामपंथी दल के लोग जो ऐसा समझते हैं कि उन्हें सर्टिफिकेट देने का अधिकार मिल गया है—जिसको चाहे प्रगतिशील कह दें, जिसको चाहें प्रतिक्रिया-वादी कह दें, मुझे इनसे कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए और अध्यक्ष महोदय, मैं बड़ी नम्रता के साथ यही कहना चाहता हूं कि मैंने भी इस देश की राजनीति में कुछ समय बिताया है। इन बड़े बहादुरों को मैंने बहुत नजदीक से देखा है। मेरे बारे में कुछ कहने से पहले वे जरा अपने दिल पर हाथ रखकर सोचें और सारे वामपंथी नेताओं, खासतौर से उन नेताओं को जिन्होंने राष्ट्रीय आन्दोलन में काम किया है, जिनके पीछे एक इतिहास है, उस इतिहास के नाते मैं, उनका आदर करता हूं और आज भी मैं समझता हूं कि उनको शायद परिस्थितियों का ज्ञान नहीं है।

12.00 मध्याह्न

जिस हालात में आज देश पहुंच गया है इसकी उनको जानकारी नहीं है। मैं चाहूंगा कि वे स्वयं जानकारी करें और जानकारी करके यह सोचें कि देश को बचाने के लिए सबके सहयोग और समर्थन की जरूरत है या नहीं। मैं एक बात यह भी कहना चाहूंगा, कई बार कहा जाता है, इधर से नारे लगाए जाते हैं कि प्रधान मन्त्री कौन है? आज अभी आपको मालूम नहीं है, कुछ दिनों में मालूम हो जाएगा कि प्रधान मन्त्री कौन है, ज्यादा अच्छी तरह से मालूम हो जाएगा। (व्यवधान)

प्रधान मन्त्री कोई व्यक्ति का सवाल नहीं है, प्रधान मन्त्री वह है जिसको इस संसद का समर्थन प्राप्त है, प्रधान मन्त्री वह है जिसको संविधान के जरिए देश ने स्वीकार किया है। इसलिए प्रधान मंत्री की चिन्ता मत कीजिए, देश के भविष्य की चिन्ता कीजिए, इस देश की बिगड़ी हुई हालत को बनाने की चिन्ता कीजिए। मैं एक ही बात कहूंगा कि यद्यपि हालत खराब है लेकिन फिर भी हमारे देश में एक बड़ी शक्ति है। हमारे किसानों, मजदूरों के हाथों के पौरुष से इस देश को फिर से बनाया जा सकता है। हमारे देश के करोड़ों लोगों के मन में आज भी देश के लिए गौरव और राष्ट्र प्रेम है, मैं उनका भी सहयोग चाहूंगा। मैं उन लोगों में से हूं जो विश्वास करते हैं कि देश को बचाने के लिए हमको किसी का सहारा चाहिए, हमें देश के लोगों की शक्ति चाहिए। इसी कारण हमने यह काम शुरू किया है। मुझे विश्वास है इस बड़े काम में हमें सबका सहयोग और समर्थन मिलेगा। किसी को चुनौती देने के लिए नहीं, केवल वास्तविकता की जानकारी के लिए मैं केवल एक ही बात दोहराना चाहता हूं कि भाषण देते समय एक बात का ध्यान रखें, कहीं मजबूर होकर मुझे ऐसी बातें न कहनी पड़ें जहां फिर आप लोगों के बीच में भाषण देने के लायक न रहें। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि इस पर स्वयं विचार करें। मैं आपके विवेक के ऊपर छोड़ता हूं। अगर आप चाहते हैं कि देश की वास्तविक स्थिति देश के सामने आए तो आप अपने ऊपर यह जिम्मेदारी लें और देश के प्रधान मन्त्री के नाते मैं आपके सामने वे सारे तथ्य रखना चाहता हूं जिनके आधार पर मैंने इस सरकार का विरोध किया है और जिन तथ्यों के आधार पर मैंने देश की सारी ताकतों के साथ एका किया है। (व्यवधान)

देश को नई शक्ति देने के लिए, एक नई प्रेरणा देने के लिए, एक विश्वास, उत्साह देने के लिए और मुझे विश्वास है कि जिन लोगों को देश का भविष्य प्यारा है, जिन लोगों को देश की असीमता में,

गौरव में आज विश्वास है वे लोग हमारा साथ देंगे। आज जरूरत झगड़े की नहीं है, आपसी सद्भाव की है। भाई-भाई का खून न बहाए, एक-एक आदमी की जिन्दगी प्यारी है, एक आदमी भी यदि मरता है तो हिन्दुस्तान का कोई बेटा या बेटी मरती है। मैं चाहूंगा आज साम्प्रदायिकता के सवाल पर, जात-बिरादरी के सवाल पर, गरीबी के सवाल पर हमको एकमत होकर एक ऐसी राह ढूंढनी चाहिए जिससे दुखी दिलों पर मरहम लगा सकें, एक नई ताकत पैदा कर सकें और नया देश बना सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि यह सदन मेरे प्रस्ताव का समर्थन करे।

श्री आरिफ मोहम्मद खान (बहराइच) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक औचित्य का प्रश्न उठाना चाहता हूं। मेरे औचित्य का प्रश्न है, पाइण्ट आफ आर्डर नहीं कह रहा हूं। माननीय प्रधान मन्त्री जी ने अपने भाषण में कहा कि माननीय सदस्य भाषण देते समय यह ध्यान रखें कि कोई ऐसी बात न कहें जिससे मजबूर होकर मुझे ऐसी बातें कहनी पड़ें कि वे जनता के बीच बोलने के लायक न रहें। औचित्य का प्रश्न यह है कि अगर प्रधान मन्त्री को किसी माननीय सदस्य के बारे में कोई ऐसी जानकारी है, उसने कोई ऐसा काम किया है कि प्रधान मन्त्री द्वारा भाषण के बाद वह जनता के बीच जाने लायक नहीं रहेगा तो प्रधान मन्त्री को इसका इन्तजार नहीं करना चाहिए कि वह सदस्य उनके खिलाफ बोले, उसके बाद वे इस बात को बताएं। यह संसदीय प्रक्रिया है कि अगर हम यह कहें कि माननीय सदस्यों को ब्लैकमेल करने की कोशिश है तो यह गलत नहीं होगा।

मेरा आपके माध्यम से माननीय प्रधान मन्त्री जी से अनुरोध है कि अगर ऐसी कोई बातें उनकी जानकारी में हैं तो हम उसे सुनने के लिए तैयार हैं। अच्छा होगा कि वह सदन को और जनता को विश्वास में लें। (व्यवधान)

12.05 म० प०

उप-प्रधान मन्त्री का परिचय

श्री हरि शंकर महाले (मालेगांव) : अध्यक्ष महोदय, मेरा औचित्य का सवाल है···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं, मैं आपको इजाजत नहीं दे रहा हूं।

श्री हरि शंकर महाले : मेरा एक औचित्य का सवाल है···(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, मैं आपको इजाजत नहीं दे रहा हूं। औचित्य का कोई सवाल नहीं होता है। आप बैठ जाएं।

एक माननीय सदस्य : आप इनको बोलने की इजाजत दें। आप इनके साथ पक्षपात कर रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं।

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : अध्यक्ष जी, मेरा प्वाइंट आॅफ आर्डर है कि यह सदन की परम्परा है कि जब कोई नया मिनिस्टर नियुक्त किया जाता है तो उनसे प्राइम मिनिस्टर सब का परिचय